

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केंद्र रावतसर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्राथीगण
1. ठाकराराम पुत्र लूम्बाराम 2		1.पूनमाराम पुत्र मूलाराम 2 मंगलाराम पुत्र
तेजाराम पुत्र लूम्बाराम 3 फूसाराम		मूलाराम 3 पैमाराम पुत्र लालाराम 4
पुत्र लूम्बाराम 4 बालाराम पुत्र		मेहराराम पुत्र लालाराम 5 लुम्बाराम पुत्र
बुधराराम 5 वीरमाराम पुत्र भैराराम 6		लालाराम 6 वृनाराम पुत्र लाखाराम 7
रेखाराम पुत्र भैराराम 7 हुकमाराम		पौकराराम पुत्र लाखाराम 8 जोगेन्द्र
पुत्र भैराराम जातियान जाट		कुमार पुत्र लाखाराम 9 गदरीदेवी पत्नी
निवासीयान प्रेमसागर रावतसर		लाखाराम 10 रावताराम पुत्र मोमाराम 11
तहसील व जिला बाडमेर		गैरों पत्नी खमाराम 12 पूराराम पुत्र
		धर्माराम 13 पौकराराम पुत्र इशाराम 14
		पदमोदेवी पत्नी खेताराम 15 वृनाराम
		गोदपुत्र देदाराम 16 चेतनराम पुत्र
		सोनाराम 17 खरताराम पुत्र सोनाराम 18
		जगुराम पुत्र खरथाराम 19 वृनाराम पुत्र
		खरथाराम 20 दमाराम पुत्र खरथाराम 21
		पदमाराम पुत्र केंसराराम 22 टीकमाराम
		पुत्र केंसराराम 23 सताराम पुत्र देदाराम
		24 मोटाराम पुत्र देदाराम 25 रावताराम
		पुत्र देदाराम जातियान जाट निवासीयान
		रावतसर पश्चिम तहसील व जिला
		बाडमेर 26 सरपंच ग्राम पंचायत रावतसर
		27 तहसीलदार बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-355/2019

आदेश

दिनांक-08.11.2021

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रावतसर पश्चिम पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील एवं जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 517 रकबा 70.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्राथीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाडमेर

दिनांक- 08/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6214-6217

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी ठाकराराम पुत्र लूम्बाराम वगैराह जाति जाट निवासी प्रेमसागर रावतसर तहसील व जिला बाडमेर
4. विप्राथीगण पूनमाराम पुत्र मूलाराम वगैराह जाति जाट निवासी रावतसर पश्चिम तहसील व जिला बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाडमेर